फा.सं.1/1/2013-स्था.(वेतन-I)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 23 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः मंत्रालयों/विभागों की संबंधित बेवसाइटों पर आरटीआई के उत्तरों को अपलोड करने के संबंध में।

इस विभाग के दिनांक 15.04.2014 के का.ज्ञा.सं. 1/6/2011-आईआर के पैरा 1.4.1 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत स्वःप्रेरणा से प्रकटन के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्दिशों से संबंधित है और जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया हैः-

"सभी लोक प्राधिकारी प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों तथा अपीलों और इनके उत्तरों को लोक प्राधिकरणों द्वारा रख-रखाव की जा रही वेबसाइटों पर अग्र सक्रिय रूप से प्रकट करेंगे और जिसमें मुख्य शब्द के आधार पर इन्हें खोजने की सुविधा मौजूद होगी। किसी व्यक्ति की निजी सूचना के संबंध में प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों तथा इनके उत्तरों को प्रकट नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे किसी लोक हित का उद्देश्य पूरा नहीं होता है।"

2. इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों/विभागों की संबंधित बेवसाइटों पर आरटीआई उत्तरों को अपलोड करने संबंधी विषय पर दिनांक 21.10.2014 के का.ज्ञा.सं. 1/1/2013-आईआर के अंतर्गत, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह अनुरोध किया था कि *"किसी व्यक्ति की निजी सूचना के संबंध में प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों तथा इनके उत्तरों को प्रकट नहीं किया जाए यदि इससे किसी लोक हित का उद्देश्य पूरा नहीं होता है।"*

3. तथापि, आरटीआई आवेदनों में निजी ब्यौरों से संबंधित श्री अभिषेक गोयंका बनाम भारत संघ के मामले में रिट याचिका संख्या 33290/2013 में माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता के दिनांक 20/11/2013 के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, लोक प्राधिकारी यह ध्यान रखें कि प्राप्त आरटीआई आवेदनों तथा अपीलों और उनके उत्तरों को अपनी वेबसाइटों पर अग्र-सक्रिय रूप से प्रकट करते समय किसी व्यक्ति की निजी सूचना प्रकट नहीं की जानी चाहिए।

(गायत्री मिश्रा)
निदेशक (आईआर)
फोनः 23092755

सेवा में,

सभी लोक प्राधिकारी